

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी: श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.  
प्रार्थी बनाम विप्रार्थीगण

1 राजूराम पुत्र पदमाराम 2  
बाबूलाल पुत्र पदमाराम 3 वेनाराम  
पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी  
भांगूओं की ढाणी सांजटा तहसील  
एवं जिला बाड़मेर।

1. बालाराम पुत्र पेमाराम 2. खेमाराम  
पुत्र भगवानाराम 3 गुणेशाराम पुत्र  
भगवानाराम 4 मिसाराराम पुत्र  
शिरामाराम 5 देराजाराम पुत्र  
शिरामाराम 6 गोरधनाराम पुत्र  
मालाराम 7 जेठाराम पुत्र मालाराम  
जातियान जाट 8 जमालखां पुत्र  
सुभानखां 9 इशूखां पुत्र सुभानखां  
10 रामदखां पुत्र बुरानखां जातियान  
मुसलमान निवासी भांगूओं की ढाणी  
सांजटा तहसील एवं जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या-272/2021 दिनांक-16.02.2022

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा भांगूओं की ढाणी पटवार हल्का सांजटा, तहसील व जिला बाड़मेर  
के खेत खरारा नम्बर 1152/818 रकबा 33.11 बीघा के वारी तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए  
नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी  
वर्षवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुये एक निश्चित  
तारीख मुकदर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व फथरगढी नहीं करने बाबत राजस्व  
विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में  
नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र  
निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर

दिनांक- 16.02.2022

क्रमांक/रीडर/2022/ 17-20

प्रतिनिधि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ पेषित है-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सांजटा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
3. प्रार्थी 1 राजूराम पुत्र पदमाराम 2 बाबूलाल पुत्र पदमाराम 3 वेनाराम पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी भांगूओं की ढाणी सांजटा तहसील एवं जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी 1. बालाराम पुत्र पेमाराम 2. खेमाराम पुत्र भगवानाराम 3 गुणेशाराम पुत्र भगवानाराम 4 मिसाराराम पुत्र शिरामाराम 5 देराजाराम पुत्र शिरामाराम 6 गोरधनाराम पुत्र मालाराम 7 जेठाराम पुत्र मालाराम जातियान जाट 8 जमालखां पुत्र सुभानखां 9 इशूखां पुत्र सुभानखां 10 रामदखां पुत्र बुरानखां जातियान मुसलमान निवासी भांगूओं की ढाणी सांजटा तहसील एवं जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर



Handwritten signature and initials in the bottom left corner.